



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/38/2018/एफ.सी. 450

दिनांक: 05.10.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/29629/2017

विषय: जनपद चित्रकुट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 के०वी० विद्युत लाईन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक-04.10.2018 की कार्यवाही (REC Agenda item 33.2-U.P.) एवं आपका पत्रांक-3201/14-2-2018-800(68)/2018 दिनांक 28.09.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-78/14-2-2016-800(68)/2018, दिनांक-03.04.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-31.08.2018 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। विषयांकित प्रकरण को दिनांक-04.10.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था, बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः केन्द्र सरकार जनपद चित्रकुट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 के०वी० विद्युत लाईन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर (25.5 X 2= 51 ha.) अर्थात् 51 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

- (ख) इसके उपरान्त online portal के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110003.
- निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003
- नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, चित्रकूट, उ0 प्र0।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकूट, उ0 प्र0।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- आदेश पत्रावली।

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}